

UPSC & ALL STATE PCS EXAM



DAILY CURRENT AFFAIRS

21 NOVEMBER 2024

- ◆ 1. संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त
- ◆ 2. गुरु घासीदास तमोर पिंगला भारत का 56वा टाइगर रिजर्व घोषित
- ◆ 3. सिविल सेवकों के लिए आचरण नियमावली
- ◆ 4. विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता
- ◆ 5. रियाद शिखर सम्मेलन 2024
- ◆ 6. अरविंदर सिंह साहनी IOC के नए अध्यक्ष

● LIVE 8:00 AM

Er. Ravi Mohan Sharma Sir





गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया।





गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया

मुख्य तथ्यों पर एक नजर

- गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित किए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिज़र्व हैं। अन्य तीन टाइगर रिज़र्व हैं- इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व और अचानकमार टाइगर रिज़र्व।





Bird men of India

Tiger men of the India

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया

मुख्य तथ्यों पर एक नजर

- राज्य सरकार, NTCA की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित करती है।
- यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (आंध्र प्रदेश) और मानस टाइगर रिज़र्व (असम) के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।

Water men of the India - Rajendra Singh

1972

कैलाश संरक्षणा

वन्य जीव संरक्षण

अधिनियम बन
लाया गया

सं - 1972

- एक व्यक्ति द्वारा निधन हो गया
जिसे शुभम शौचालय का कर्मक कहा जाता है
↓
विश्वेश्वर पाठक - (निर्देश)



गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया

एक टाइगर रिज़र्व में शामिल होते हैं:

- कोर/ क्रिटिकल क्षेत्र: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, इन्हें अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक है।



गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया

एक टाइगर रिज़र्व में शामिल होते हैं:

- बफर / परिधीय क्षेत्र: टाइगर रिज़र्व के इस हैबिटेट क्षेत्र में कम सुरक्षा वाले उपायों की जरूरत पड़ती है। यह मानव-वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यह ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाङ्गर रिज़र्व की अवस्थिति एवं भू-परिदृश्य:

- भूगोल: यह छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार पर स्थित है।
- जीव: तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, भालू आदि।
- नदियां: हसदेव गोपद, बरंगा आदि।



गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व की अवस्थिति एवं भू-परिदृश्य:

- संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है: यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में परिकल्पित है।
- यह टाइगर रिज़र्व संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) से सटा हुआ है। साथ ही, यह बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और पलामू वन्यजीव अभयारण्य (झारखंड) के साथ भी जुड़ा हुआ है।



टाइगर रिज़र्व के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण के बारे में:

- इसमें बाघों की व्यवहार्य आबादी को आश्रय देने के लिए संरक्षित क्षेत्रों को गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई आबादी के नेटवर्क के रूप में देखा जाता है।
- परस्पर जुड़ी आबादी को मेटा-आबादी कहा जाता है।



टाइगर रिज़र्व के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण के बारे में:

महत्त्व:

- अलग-अलग पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी, जीन प्रवाह, अंतः प्रजनन अवसाद को कम करना, स्थानांतरण से बचना आदि।

5 चीज़ें

सहवास

मेंडिंग





नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के **संजय मूर्ति** को भारत का अगला CAG नियुक्त किया गया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में:

संविधान का अनुच्छेद 148:

- नियुक्ति: इसे भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है।





नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में:

संविधान का अनुच्छेद 148:

- वेतन और सेवा की शर्तें: संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती हैं। इसे भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है।
- पुनर्नियुक्ति: केंद्र और राज्य सरकार, दोनों में किसी भी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।



नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में:

- अनुच्छेद 149 [CAG के कार्य और शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- अनुच्छेद 151: CAG की रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी, फिर राष्ट्रपति की ओर से इन रिपोर्ट्स को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा।

प६ से हटाया जाना



उसी विधि से हटाया जावा
है। जिस विधि से
S.C के न्यायाधीश को
हटाया जावा है



नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में:

- भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971:
- कार्यकाल: 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो)।
- पद से हटाया जाना: उसे राष्ट्रपति उसी विधि से हटा सकता है, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।



बुद्ध के अवशेष

- हाल ही में बुद्ध के आठवें अवशेष की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नेतृत्व में रामग्राम में उत्खनन शुरू हुआ।

रामग्राम



बुद्ध के अवशेषों के बारे में:

ये भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए अवशेष हैं।

इन अवशेषों के ऊपर निम्नलिखित स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है:

- राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, वेथादीप, पावा, कुशीनगर और पिप्पलिवन।



बुद्ध के अवशेषों के बारे में:

- बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, भगवान बुद्ध को कुशीनगर जिले (उत्तर प्रदेश) में मोक्ष (महापरिनिर्वाण) प्राप्त हुआ था और उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर के मल्लों द्वारा किया गया था।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 (AIS नियमों) के उल्लंघन का हवाला देते हुए दो आईएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
- एक आईएस अधिकारी ने अपने वरिष्ठ सहकर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी जबकि एक अन्य को कथित तौर पर धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिये निलंबित किया गया।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- **परिचय:** यह नियम आईएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के आचरण में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और संवैधानिक मूल्यों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नैतिक एवं पेशेवर मानकों के आधार हैं।
- **उल्लिखित मानक:** उल्लिखित प्रमुख मानकों का सारांश इस प्रकार है।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- **नैतिक मानक:** अधिकारियों को नैतिकता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करना चाहिये। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों एवं निर्णयों में राजनीतिक रूप से तटस्थ, जवाबदेह एवं पारदर्शी बने रहें।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता: अधिकारियों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिये, जिससे देश के विधिक ढाँचे के प्रति प्रतिबद्ध लोक सेवक के रूप में उनके कर्तव्य बने रहें।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- लोक मीडिया में भागीदारी: अधिकारी वास्तविक पेशेवर क्षमता के संदर्भ में लोक मीडिया में भागीदारी कर सकते हैं। हालाँकि उन्हें सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिये ऐसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?


- विधिक और मीडिया संबंधी दृष्टिकोण अधिकारियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न्यायालय या मीडिया के माध्यम से आलोचना के अधीन आधिकारिक कार्यों का निवारण या बचाव करने की अनुमति नहीं है।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- सामान्य आचरण: अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिये जो उनकी सेवा के लिये "अनुचित" माना जाता हो। इससे सुनिश्चित होता है कि अधिकारी शिष्टाचार और व्यावसायिकता का उच्च मानक बनाए रखें।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

AIS नियम, 1968 से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- स्पष्ट सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का अभाव: मौजूदा नियम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अधिकारियों के संचार और आचरण को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
- डिजिटल जुड़ाव के बढ़ने से अस्पष्टता पैदा हो गई है, जिससे सीमाएँ निर्धारित करना और उचित व्यवहार लागू करना कठिन हो गया है।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है?

- **नीति निर्माण:** सिविल सेवक तकनीकी विशेषज्ञता और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और निर्धारण में मदद करते हैं।
- **नीतियों का क्रियान्वयन:** सिविल सेवक विधायिका द्वारा पारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार होते हैं। इसमें कानूनों और नीतियों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की देखरेख करना शामिल है।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है?

- प्रत्यायोजित विधान सिविल सेवकों को प्रायः प्रत्यायोजित विधान के तहत विस्तृत नियम और विनियम बनाने का काम सौंपा जाता है। विधानमंडल रूपरेखा निर्धारित करता है, जबकि सिविल सेवक दैनिक सरकारी कार्यों के लिये आवश्यक विशिष्टताओं को परिभाषित करते हैं।






सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है?

- प्रशासनिक न्यायनिर्णयन: सिविल सेवकों के पास अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं और वे नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिये जिम्मेदार होते हैं।
- यह सार्वजनिक हित में, विशेष रूप से कमजोर समूहों या तकनीकी मुद्दों के लिये त्वरित, निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है, तथा समय पर विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करता है।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है?

- **स्थिरता और निरंतरता:** सिविल सेवक चुनाव-प्रेरित राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान शासन में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखते हैं, तथा नेतृत्व में बदलाव के बावजूद सुचारू नीति और प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
- **राष्ट्रीय आदर्शों के संरक्षक:** सिविल सेवक राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

- सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य उन मौलिक सिद्धांतों और नैतिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिविल सेवकों के आचरण तथा उत्तरदायित्वों का मार्गदर्शन करते हैं।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सत्यनिष्ठा ✓

- सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, चरित्र की भ्रष्टता, ईमानदारी और निष्ठा से है।

प्रकार:


- नैतिक सत्यनिष्ठा ✓
- बौद्धिक सत्यनिष्ठा ✓
- पेशेवर सत्यनिष्ठा
- उदाहरण: सत्येंद्र दूबे (IES अधिकारी) - भारत के पहले मुखबिरो में से एक - ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

निष्पक्षता

- निष्पक्षता से तात्पर्य निष्पक्ष होने या किसी भी चीज़ या किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण न होने और केवल मामले की योग्यता के अनुसार कार्य करने के गुण से है।
- उदाहरण: एक अधिकारी को अपने हितों के प्रति पक्षपात दिखाने के बजाय समुदायों की ज़रूरतों के आधार पर धन वितरित करना चाहिये।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

गैर-पक्षपात ✓

- किसी भी राजनीतिक दल के प्रति गैर-पक्षपात, यानी राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शित करना। ✓
- उदाहरण: वर्ष 1990-96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रक्रिया में गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिये बदलाव किये।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

वस्तुनिष्ठता

- समानता प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत राय के बजाय तथ्यों का पालन करना।
- उदाहरण: सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करते समय, धनी/राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों का पक्ष लेने के बजाय, वंचित आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सहिष्णुता

- अपने से भिन्न विचारों, प्रथाओं, जाति, धर्म आदि का सम्मान, स्वीकृति और सराहना।
- उदाहरण: अशोक का धाम (धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उत्पीड़न को हतोत्साहित करना)



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण ✓

- प्रतिबद्ध, उत्तरदायी होना और जनहित को सर्वोपरि रखना।
- उदाहरण: अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिये जाने जाते हैं।






सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अनुच्छेद 311

- अनुच्छेद 311 (1) के अनुसार अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नियुक्त किया था।
- अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार, किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है।





सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अनुच्छेद 311

- जाँच की आवश्यकता के अपवाद (अनुच्छेद 311 (2)):
निम्नलिखित परिस्थितियों में जाँच की आवश्यकता नहीं है:
 - आपराधिक दोषसिद्धि: हाँ एक व्यक्ति की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है (धारा 2(a))।



सिविल सेवकों के लिये आचरण नियमावली

अनुच्छेद 311

- **व्यावहारिक असंभवता:** जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है (धारा 2(b))।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है (खण्ड 2(c))।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शौचालय दिवस की स्थापना अपर्याप्त स्वच्छता के कारण विश्व भर में लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी। यह दिवस हैजा जैसी घातक बीमारियों के प्रसार को रोककर सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में उचित शौचालय सुविधाओं की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।





विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

विश्व शौचालय दिवस, 2024 के बारे में

- **परिचय :** विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस है।
- **उद्देश्य :** स्वच्छता संकट को तत्काल रूप से दूर करने के लिए वैश्विक जागरूकता एवं कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- **शुरुआत :** वर्ष 2013 से।





विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

विश्व शौचालय दिवस, 2024 के बारे में

- **समर्पित** : यह प्रयास सतत विकास लक्ष्य- 6 '2030 तक सभी के लिए पानी एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना' के हिस्से के रूप में सुरक्षित और सुलभ शौचालय सुविधाओं के महत्व पर जोर देने के लिए समर्पित है।
- **इस वर्ष की थीम** : शौचालय- शांति के लिए एक स्थान



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

विश्व शौचालय दिवस, 2024 के बारे में

- यह थीम युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और व्यवस्थागत उपेक्षाओं के कारण अरबों लोगों को स्वच्छता के लिए बढ़ते खतरों का सामना करने पर केंद्रित है।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

भारत में आयोजन और वैश्विक अभियान

- भारत में विश्व शौचालय दिवस देश की खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने की दिशा में प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर मनाया जाता है।
- सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा अंतरालों की पहचान करने और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

भारत में आयोजन और वैश्विक अभियान

- इसके अतिरिक्त , ग्राम -स्तरीय पंजीकरण अभियान और शिबिर आयोजित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए समय पर मंजूरी आदेश प्राप्त हों।
- इस वर्ष भारत ने 19 नवंबर से 'हमारा शौचालय: हमारा सम्मान' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है जो 10 दिसंबर, 2024 तक मानवाधिकार दिवस के मौके पर समाप्त हो रहा है।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

भारत में आयोजन और वैश्विक अभियान

- यह अभियान स्वच्छता को मानवाधिकारों और विशेष रूप से महिलाओं व बालिकाओं के लिए गरिमा एवं गोपनीयता की वैश्विक आवश्यकता से जोड़ेगा।



स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन का योगदान ✓

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच को समाप्त करने के भारत के प्रयासों की आधारशिला रहा है जो वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से एक परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है।
- एस.बी.एम.-ग्रामीण के तहत 11.73 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसके नतीजतन 5.57 लाख से अधिक 'ओ.डी.एफ. प्लस' गांव बन गए हैं।



स्वच्छ भारत अभियान

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन का योगदान

- इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डब्ल्यू.एच.ओ. के मुताबिक वर्ष 2014 की तुलना में 2019 तक डायरिया से होने वाली मौतों में 300,000 की कमी आई।
- मिशन का आर्थिक प्रभाव भी समान रूप से प्रभावशाली दिखा, जिसके जरिए ओ.डी.एफ. गांवों को स्वास्थ्य सेवा पर प्रति परिवार औसतन 50,000 रुपए की बचत हुई।



स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन का योगदान

- इसके समकक्ष शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने भी अपने लक्ष्यों को पूरा किया और 63.63 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों तथा 6.36 लाख से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान की।
- इन प्रयासों के कारण 4,576 शहरों को ओ.डी.एफ. का स्थान मिला, जिनमें से कई 'ओ.डी.एफ.+ ' एवं 'ओ.डी.एफ.++ ' पहचान के लिए आगे बढ़ रहे हैं।



स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन का योगदान

- इस मिशन ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को भी अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है। ओ.डी.एफ. क्षेत्रों में 93% महिलाओं ने सुरक्षा भावना में बढ़ोत्तरी ज़ाहिर की है।
- सामूहिक रूप से एस.बी.एम. ने विश्व शौचालय दिवस और एस.डी.जी.- 6 के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकरूपता दर्शाते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं अधिक न्यायसंगत भारत की नींव रखी है।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता

- वर्तमान में बेहतर स्वच्छता सेवाओं की सख्त जरूरत है क्योंकि 3.5 अरब लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता से वंचित हैं और दुनिया भर में 419 मिलियन खुले में शौच करने के लिए विवश हैं।





विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता


- स्वच्छता सेवाएं एक सुरक्षात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि मानव अपशिष्ट को पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके और समुदायों को खतरे से बचाया जा सके।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता

- वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित जल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता की कमी से प्रतिदिन 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1000 बच्चों की मौत हो जाती है।
- 2.2 बिलियन लोगों के पास अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी है और 2 बिलियन लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है जिनमें 653 मिलियन लोग बिना किसी सुविधा के रह रहे हैं।





विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता

- संवेदनशील स्थितियों में रहने वाले बच्चे विशेष रूप से कमजोर हैं, क्योंकि उनकी खुले में शौच करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है और बुनियादी पेयजल सेवाओं की कमी की संभावना 8 गुना अधिक होती है।
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रत्यक्ष हिंसा की तुलना में, खराब स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों से मरने की संभावना लगभग 3 गुना अधिक होती है, जो अपर्याप्त स्वच्छता के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित करता है।



विश्व शौचालय दिवस एवं भारत में स्वच्छता

बेहतर स्वच्छता की आवश्यकता

- बेहतर स्वच्छता की वजह से संभावित रूप से सालाना 1.4 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है।

Thank You